

दिनांक-13.06.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:-

- (1) श्रीमती प्रीति तोंगरिया, विशेष सचिव
- (2) श्री प्रशांत कुमार सी०एच०, निदेशक
- (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
- (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
- (5) श्री गोपाल शरण, विशेष कार्य पदाधिकारी
- (6) श्री आशुतोष कुमार, Project Lead

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:-

(क) पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक राज्य के 38 जिलों में कुल 248 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु इस माह तक निश्चित रूप से भूमि चयन करना सुनिश्चित करेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट/पोर्टल से सरकारी भूमि से संबंधित सूचनाएं के आधार पर संबंधित BPRO एवं राजस्व कर्मी से भूमि का सत्यापन कर भूमि चयन में सहयोग कर सकते हैं। जिस पंचायत में भूमि उपलब्ध नहीं है, इससे संबंधित अंचलाधिकारी एवं DCLR से प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए जिला पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट होकर विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करें।

(ख) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी बिहार के 23 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त 23 ग्राम पंचायतों

में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य एक सप्ताह तक प्रारंभ न किया जाए। यदि उक्त पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है तो कारण सहित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करें। तदनुसार इस संबंध में विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी एवं उचित निर्णय लेकर संबंधित जिलों को संसूचित किया जायेगा। यह भी निदेश दिया गया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति की अद्यतन स्थिति एक सप्ताह के अन्दर निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

- (ग) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित समस्याग्रस्त भूमि के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल क्रमशः 192 एवं 199 ग्राम पंचायतों की भूमि समस्याग्रस्त है। जिनमें समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, अररिया, दरभंगा, पूर्णियां, सारण, सिवान, पटना एवं बक्सर को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् प्रत्येक सप्ताह स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संवेदकों के साथ बैठक कर भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:-सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना:-

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी फेजों को मिलाकर जिला औरंगाबाद, पश्चिम चम्पारण, जमुई, सहरसा, सारण, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी का Installation against Work Order का प्रतिशत काफी कम है। इन सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि Installation against Work Order में तेजी लाना सुनिश्चित करें। जिन-जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा में सभी DDC एवं DPRO को यह निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के उपरान्त 03 दिनों के अन्दर CMS पर Integrate किया जाए एवं प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि एवं सेवा की गुणवत्ता मानी जाए।

(ख). जिन जिलों में अधिष्ठापित सोलर लाईटों में 72 घंटों से अधिक Signal Loss एवं Fault की समस्या है, उन जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह CMS Portal के माध्यम से समीक्षा कर एकरारनामा के अनुसार एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ग). कतिपय जिलों में अधिष्ठापन के विरुद्ध भुगतान कम पाया गया है। इन सभी जिलों को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:—संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के निम्न भुगतान की अद्यतन स्थिति:—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा काफी कम की गयी है, जो चिन्ताजनक है, जिसमें शतप्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि BPRO प्रत्येक सप्ताह सभी पंचायतों के द्वारा व्यय की गयी राशि की पंचायत सचिवों के साथ समीक्षा करेंगे एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन संबंधित DPRO को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिन पंचायतों में व्यय कम हो रहा है उस पंचायत का भ्रमण DPRO स्वयं कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। DPRO पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मासिक बैठक करेंगे एवं जिस पंचायत समिति में व्यय कम हो रहा है वहाँ स्वयं भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन:— संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार का अद्यतन स्थिति :—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नालन्दा में 03, औरंगाबाद, बक्सर एवं सिवान में 02-02 तथा भागलपुर, भोजपुर, जमुई, पटना, पूर्णियां, सारण, वैशाली एवं शेखपुरा में 01-01 MJC लंबित है। सभी CWJC/MJC मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन:—सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :—

बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, गया, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, पटना, सिवान, दरभंगा, सारण एवं वैशाली जिलों के लंबित

लगातार.....

राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति देख लें तथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन कराने हेतु कार्रवाई करें।

(अनुपालन:-सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने जिलों में संचालित विभागीय कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन एवं पेंशन एवं सेवांत लाभ के लंबित मामलों की सेवानिवृत्ति पदाधिकारियों/कर्मियों से संबंधित विवरणी (एक वर्ष पूर्व का) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलंब उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन:-सभी जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मनोज कुमार)
सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:-950/विविध-01-247/2023/7923/पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2025
प्रतिलिपि:-बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक:-950/विविध-01-247/2023/7923/पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2025
प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक:-950/विविध-01-247/2023/7923/पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2025
प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई-मेल करते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव